छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....17...../2018 दिनांक 20/08/2018

विषयः- सरगंवा अम्बिकापुर में प्रस्तावित/ निर्माणाधीन अटल विहार योजनांतर्गत 10% भवन ऑफर से विक्रय करने संबंध में।

--- 000 ---

संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 269 दिनांक 23.04.2018 में उल्लेखानुसार संभागीय कार्यालय-अंबिकापुर से सरगंवा अंबिकापुर में प्रस्तावित/निर्माणाधीन अटल विहार योजना में शामिल समस्त प्रकार के भवनों में से कार्नर/बेटर लोकेशन पर स्थित भवनों एवं मॉडल हाउस को चिन्हाकित कर ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु प्रेषित किया गया है।

मण्डल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 31/2014 दिनांक 03.09.2014 के पालन में मण्डल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 01/2018 दिनांक 02.01.18 से विभिन्न योजनाओं में समस्त प्रकार के भवनों में कार्नर/बेटर लोकेशन पर स्थित 10% भवनों (मॉडल हाऊस भी) को ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु चिन्हांकित कर सुरक्षित रखे जाने तथा ऑफर के माध्यम से विक्रय अनुमोदन कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है।

संपदा अधिकारी, प्रक्षेत्र-अंबिकापुर सरगंवा अंबिकापुर में प्रस्तावित/निर्माणाधीन अटल विहार योजना में शामिल ई.डब्ल्यू.एस. प्रकार के भवनों को छोड़कर शेष भवनों में से कार्नर/बेटर लोकेशन पर स्थित भवनों एवं मॉडल हाऊस को ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु चिन्हांकित भवनों को सुरक्षित रखे जाने हेतु संपदा अधिकारी, प्रक्षेत्र-अंबिकापुर द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

भवन का प्रकार	भवनों की संख्या	प्रतिशत	आरक्षण हेतु भवनों का प्रतिशत	आरक्षित भवन संख्या	आरक्षित भवन क्रमांक
HIG	14	10%	1.40	1	HIG/07
Sr.MIG	12	10%	1.20	1	Sr.MIG/15
Jr.MIG	40	10%	4.00	4	Jr.MIG/27, Jr.MIG/42, Jr.MIG/47, Jr.MIG/48,
LIG	63	10%	6.40	6	LIG/53, LIG/71, LIG/86, LIG/107, LIG/108,LIG/129
EWS FLATS	122	10%	12.20	–	Over booking
योग	251			12	

कमशः 02

प्रकरणों में निम्नानुसार बिन्दुवार कार्यवाही की जाना है :-

1. विज्ञापन में दर्शित पंजीयन अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक प्राप्त होती है तो पंजीयन हेतु आवेदको का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वंय अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
2. भवनों का आबंटन विभिन्न वर्गो के लिए आरक्षण के प्रावधान मण्डल परिपत्र कमांक 03 दिनांक 21.01.2016 अनुरुप किया जावेगा। आरक्षण का विवरण :- अनु.जाति-06%, अनु. जन जाति-04%, पिछड़ा वर्ग-06%, मण्डल कर्मचारियों-01%, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक-01%, सैनिको/भूतपूर्व सैनिको-02%,शारिरिक विकलांग-03%, निराश्रित एवं विधवा महिला-02%, पत्रकार-02%, शासकीय कर्मचारी (रायपुर)-05%, शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर)-03%, तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग-02%,
3. मण्डल नियमानुसार भवनों का पंजीयन राशि हितग्राहियों से लिया जावेगा।
4. मण्डल नियमानुसार यह परियोजना स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत कराया जाना है। कुल प्रस्तावित भवनों में से 10% बेटर लोकेशन/कार्नर के भवनों का ऑफर आधार पर विक्रय हेतु आरक्षित किए जाएंगे तथा शेष 90% भवन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आबंटित किया जावेगा।
5. 90% भवनों का लॉटरी द्वारा आबंटन पश्चात् शेष 10% भवनों की नियमानुसार विक्रय कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रक्षेत्र-अंबिकापुर द्वारा कड़ाई से पालन किया जावेगा।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र.२०५४ /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-...../18 नया रायपुर, दिनांक२०/ 08 /2018

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. अपर आयुक्त, (पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

कमशः03

4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-बिलासपुर/अंबिकापुर।
5. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-अंबिकापुर।
6. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-अंबिकापुर।
7. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर